न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या **2023/125**

1. रमेश पुत्र नन्दा
2. हीरालाल पुत्र नन्दा समस्त जाति माली निवासी मालियों की ढाणी भांवसा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर।
2. मदन पुत्र नन्दा जाति माली निवासी मालियों की ढाणी भांवसा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय जिला जयपुर जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 10/2021 निर्णय दिनांक 23.01.2023 उनवानी रमेश व अन्य बनाम राज0 सरकार।

उपस्थित–
1. श्री सीताराम कुमावत वकील अपीलान्ट
2. श्री विष्णु कुमावत वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक –26.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर तृतीय जिला जयपुरके निर्णय दिनांक 23.01.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालयअति0 जिला कलक्टर तृतीय जिला जयपुरके समक्ष तहसीलदार फुलेरा द्वारा ग्राम भांवसा तहसील फुलेरा जिला जयपुर के आराजी खसरा नं. 148/1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि के खोले गये नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 13.10.2017 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स व रेस्पो संख्या 2 द्वारा किये गये समर्पणनामें के आधार पर अपील खारिज करने के आदेश दिनांक 23.01.2023 को दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर तृतीय जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 23.01.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट रमेश पुत्र नन्दा वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर तृतीय जिला जयपुरके निर्णय दिनांक 23.01.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 13.10.2017 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम भांवसा तहसील फुलेरा जिला जयपुर के आराजी खसरा नं. 148/1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा के रिकॉडेड खातेदार–काश्तकार अपीलांट्स एवं माता स्व0 राजा देवी एवं भाई रेस्पो0 संख्या 2 मदन थे। उक्त खसरा नं. के पीछे रामेश्वर पुत्र नानगराम की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है। रामेश्वर ने मुख्य रोड से अपने खेत में आने–जाने हेतु रास्ता लेने की गरज से मोतीलाल जाट से साज कर अपीलांट व उनकी माता राजा देवी व भाई मदनलाल को मुगालता देकर खसरा नं. 148/1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बीस्वा भूमि पूर्वी ओर उत्तर से दक्षिण अपने खेत में सीमा तक समर्पणनामा तहसील/सरकार के हक में तहरीर कराकर 148/1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बीस्वा भूमि रास्ता व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता के रूप में समर्पणनामा स्वीकार कराकर नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 13.10.2017 तहसीलदार फुलेरा से तस्दीक कराकर राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नं. 375/148 रकबा 4 बीस्वा गै0मु0 रास्ता का अंकन करा लिया। अपीलांट की उक्त आराजीयात रोड के किनारे है इसलिए रास्ते के लिए समर्पणनामा करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। अपीलांट के पास तो पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध था इसलिए उसे अन्य रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं थी। उक्त समर्पणनामें के आधार पर अंकित रास्ता अपीलांट्स के उपयोग का ही नहीं है। अपीलांट्स अपने कब्जे काश्त की भूमि पर सम्पूर्ण रकबे पर काबिज है। समर्पणनामें/नामान्तररकरण के अनुसार न तो कोई रास्ता काटा गया ना ही आवागमन के उपयोग में आता है एवं ना ही रास्ता नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर तृतीय जिला जयपुर दिनांक 23.01.2023एवं नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 13.10.2017 को निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट्स व रेस्पो0 संख्या 2 ने उक्त भूमि अपनी सहमति से रास्ते के लिए समर्पण की है जैसा कि स्टाम्प पेपर पर किये गये समर्पणनामें में स्पष्ट रूप से अंकित है। जिसमें अपीलांट्स के हस्ताक्षर हैं। जिसके अनुसार अति0 जिला कलक्टर तृतीय जिला जयपुर द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत समर्पणनामें के आधार पर अपील खारिज करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम भांवसा तहसील फुलेरा जिला जयपुर के आराजी खसरा नं. 148/1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि के तहसीलदार फुलेरा द्वारा रास्ते के लिए खोले गये नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 13.10.2017 को लेकर है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 408 को निरस्त करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय जिला जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय द्वारा समर्पणनामें के आधार पर अपील खारिज करने के आदेश दिये गये हैं। अपीलांट्स द्वारा उक्त अनरजिस्ट्रर्ड समर्पणनामें के संबंध में असहमति प्रकट की गई है तथा अपीलांट के खसरा नं. 148/1 के समीपस्थ पहले से ही रास्ता उपलब्ध है तथा इस सबंध में अपीलांट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा पुलिस थाना नरेना में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है जिसमें उक्त समर्पणनामें में गलत/फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करवाये जाने का अंकन है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त समर्पणनामा एक अनरजिस्ट्रर्ड दस्तावेज है जिससे किसी के अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल अनरजिस्ट्रर्ड समर्पणनामें को ही आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। इसे खारिज किया जाना उचित समक्षते हैं।

अतः **आदेश** है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 23.01.2023 तथा नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 13.10.2017 निरस्त किया जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

माननीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

माननीय आयुक्त
जयपुर